छत्तीसगढ़ शासन
चिकित्सा शिक्षा विभाग
मंत्रालय,महानदी भवन,
नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर

//आदेश//

नवा रायपुर दिनांक 23/ 09 /2024

क्रमांक एफ 3–112/2024/55 : : मान. मंत्रीजी, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग के द्वारा आज दिनांक 23.09.2024 को बिलासपुर में स्वशासी समिति की बैठक एवं विभागीय कार्यो के समीक्षा के दौरान यह तथ्य सामने आये हैं कि डॉ. एस.के. नायक, अधीक्षक, छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान(सिम्स) बिलासपुर के द्वारा आयुष्मान भारत योजना के क्रियान्वयन में घोर लापरवाही एवं अनियमितताऐं की गई, जिसके कारण योजना का लाभ लाभार्थियों को नहीं मिला, जो कि इनके द्वारा पदीय कर्तव्यों के पालन में लापरवाही की श्रेणी में आता है तथा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 3 का स्पष्ट उल्लंघन है ।

2/ अतः राज्य शासन एतद्द्वारा डॉ. एस.के. नायक, अधीक्षक, छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान(सिम्स) बिलासपुर को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 9(1) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित करता है।

3/ निलंबन अवधि में इन्हें मूलभूत नियम 53 (II)(क) के अनुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा तथा निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय संचालनालय चिकित्सा शिक्षा, स्वास्थ्य भवन, नार्थ ब्लाक, सेक्टर–19, नवा रायपुर अटल नगर रहेगा ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

23.9.24

(कीर्तिवर्धन उपाध्याय)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
चिकित्सा शिक्षा विभाग

पृष्ठां. क्र. एफ 3–112/2024/55 नवा रायपुर, दिनांक 23/09/2024

प्रतिलिपिः–

1– विशेष सहायक, मान. मंत्रीजी, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन,नवा रायपुर, अटल नगर, छ.ग.।
2– अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय नवा रायपुर।
3– सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय नवा रायपुर, अटल नगर, छ.ग.।
4– आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा स्वास्थ्य भवन, नार्थ ब्लाक, सेक्टर–19, नवा रायपुर अटल नगर(छ.ग.)
5– मुख्य सचिव के अवर सचिव, मंत्रालय नवा रायपुर, अटल नगर, छ.ग.।
6– कलेक्टर, जिला–बिलासपुर/रायपुर, छ.ग.,
7– अधिष्ठता, छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान(सिम्स) बिलासपुर,

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

8– संबंधित– डॉ. ....
9– आदेश फोल्डर।

23.9.24

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
चिकित्सा शिक्षा विभाग